Section 4.5.8

सिटिजन चार्टर (CITIZEN CHARTER)

ध्येय (MISSION)

क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का संवर्धन और विकास

दृष्टिकोण (VISION)

राष्ट्रीय नेताओं एवं हिंदी प्रेमियों की यह एक उत्कट आकांक्षा रही है कि हिंदी भारतीयों की भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना समुचित स्थान ग्रहण करे। दूसरी ओर उनकी यह सोच भी थी कि न केवल विदेशों में अपितु समूचे विश्व में फैले हुए भारतीय मूल के व्यक्तियों के बीच भाषायी आदान-प्रदान के समन्वय हेतु हिंदी का एक अंतरराष्ट्रीय सचिवालय स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त उनकी यह भी परिकल्पना थी कि अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की सम्पूर्ण संभावनाओं के विकास और संवर्धन के लिए एक केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

- म.गां.अं.हिं.वि.: एक अनूठा एवं वैकल्पिक संस्थान
- म.गां.अं.हिं.वि. के विद्यापीठ
- म.गां.अं.हिं.वि. का अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- वर्तमान परिदृश्य
- भविष्य की योजनाएँ
- नए विद्यापीठों की स्थापना

प्रयोजन एवं सेवाएँ (Concerns and Service)

छात्र: जागरूकता, सुविधाएं, शुल्क में कमी, सस्ती शिक्षा, शिकायत निवारण तंत्र, दुर्घटना बीमा, परिसर में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं एवं वाई-फाई इंटरनेट सुविधा युक्त परिसर और छात्रवृत्ति छात्रों को उपलब्ध हैं । प्रत्येक छात्र को अपने-अपने कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत चयनित पाठ्यक्रमों का चयन करने की छूट है। जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास, कंप्यूटर एप्लिकेशन प्रशिक्षण, संचार कौशल विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को उनके समग्र विकास को पोषित करने के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं। विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से रैगिंग मुक्त है तथा छात्र के समग्र कल्याण और प्रगति की निगरानी अधिष्ठाता, छात्र कल्याण द्वारा की जाती है और शिकायतों का उचित समाधान किया जाता है। विश्वविद्यालय में सभी छात्रों के लिए उपयुक्त रोज़गार हेतु एक प्लेसमेंट प्रकोष्ठ है। विश्वविद्यालय सामाजिक समानता का आश्वासन देता है तथा सभी पिछड़े और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण के मुद्दों को हल करने के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

कर्मचारी: कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, परिसर में चिकित्सा सुविधाओं, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, सामूहिक बीमा, प्रशिक्षण कार्यक्रम और आवश्यकता आधारित सेवाओं सहित कल्याणकारी उपाय उपलब्ध हैं । विश्वविद्यालय परिसर के स्वच्छ पर्यावरण में पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त और धूम्रपान रहित क्षेत्र है जिसमें लगभग 100 आवासीय क्वार्टर्स तथा ट्रांजिट होस्टल में शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर सभी वर्गों

के कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी कर्मियों तथा विद्यार्थियों हेतु अन्य बुनियादी सुविधाएं यथा जिम, परिसर में डाक और एटीएम के साथ बैंकिंग सुविधाओं तथा एक फोटोकॉपी सेंटर और कैफेटेरिया, कर्मियों के बच्चों हेतु शिशु विहार, महिला अधिकारों की सुरक्षा और लैंगिक मुद्दों हेतु प्रकोष्ठ की सुविधा बनाई गई है।

सामान्य जन :

विश्वविद्यालय जागरूकता कार्यक्रमों और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से समाज को कल्याणकारी अवसरों का समर्थन करता है। विश्वविद्यालय द्वारा ग्राम विकास के तहत वर्धा जिले के 10 गांवों को गोद लिया गया है। विश्वविद्यालय अपने विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक मुद्दों के लिए जनभागीदारी हेतु अवसर प्रदान करता है।

अपीलीय प्राधिकारी :

छात्रों, अभिभावकों, कर्मियों तथा जनता से संबंधित सभी शिकायतों के लिए अपीलीय अधिकारी विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे तथापि, कुलसचिव, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी, आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष शिकायतों पर परस्पर विचार करेंगे और उन्हें अपने स्तर पर सौहार्दपूर्ण एवं विवेकपूर्ण ढंग से हल करेंगे।